

दूरभाष : 0121-2665734  
फैक्स : 0121-2666062



कार्यालय  
Office of the  
प्रबन्ध निदेशक  
MANAGING DIRECTOR  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam  
Ltd.  
विक्टोरिया पार्क, मेरठ  
Victoria Park, MEERUT—250001

E-Mail-pvvnacc@gmail.com  
CIN- U31200UP2003SGC027458

पत्रांक : /प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/लेखा/पी-2 दिनांक :

### कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-3(7) तथा उ०प्र० सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में *ultra vires* घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002 टीसी-1-का-2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या 60-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015-3-विनियम/92 दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुए, उन्हें स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप संख्या 3366 दिनांक 04.09.2015 के द्वारा किये गये पदावनत आदेशों के अनुक्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ-5 में उल्लिखित पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विभागीय चयन समिति के अनुरूप चयनित करते हुये तदनुसार प्रोन्नत एवं तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/गृहजनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	स्तम्भ-3 में प्रदान की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम/दिनांक तथा तैनाती कार्यालय का नाम
1.	2	3	4	5
1	श्री हरख्याल सिंह/बागपत/ 31.05.2012/लेखा/ वि०वि०ख०, मुजफ्फरनगर	लेखाकार	सहायक लेखाकार	लेखाकार 09.02.2011 वि०वि०ख०, मुजफ्फरनगर से दिनांक 31.05.2012 को सेवानिवृत्त
2	श्री अनिल कुमार/मुरादाबाद/ 29.02.2040/लेखा/ वि०वि०ख०, चांदपुर	लेखाकार	सहायक लेखाकार	लेखाकार (कार्य) 21.02.2013 वि०वि०ख०, चांदपुर
3	श्री भूपेन्द्र सिंह/गाजियाबाद/ 30.04.2042/लेखा/ वि०वि०ख०-प्रथम, बुलन्दशहर	लेखाकार	सहायक लेखाकार	लेखाकार (कार्य) 21.02.2013 वि०वि०ख०-प्रथम, बु०शहर

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।


पत्रांक : 3769/प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/लेखा/पी-2

दिनांक : 22-09-2015  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक(वित्त)/निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. अपर सचिव-तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

5. मुख्य अभियन्ता (मा0संसा0 एवं प्रशा0), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0, .....।
7. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय(वितरण), प0वि0वि0नि0लि0, .....।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0, .....।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0, ..... को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0-60-विनियम एवं काविनि/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 के अनुपालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका सं0 414/2015 दिनांक 20.08.2015 को दिए गए निर्देशानुसार यह सुनिश्चित करेंगे की उक्त कार्मिक कों किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा साथ ही उक्त आदेशों में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
11. कम्प्यूटर अनुभाग, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को वैब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सम्बन्धित कार्मिक/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
 (पी0के0 अग्रवाल)  
 उपमहाप्रबन्धक(लेखा)